

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला झालावाड/2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला झालावाड /2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम: झालरापाटन शहरी क्षेत्र

| क्र. सं. | नगरपालिका | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम   | समन्वित विद्यालय का नाम  | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण               |
|----------|-----------|--------------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1        | 2         | 3            | 4                       | 5  | 6   | 7                                    |
| 1        | झालावाड   | झालावाड      | रामावि कलक्ट्री झालावाड | राप्रावि कलक्ट्री झालावाड<br>राउप्रावि इमामसागर झालावाड<br>राउप्रावि विवेकानन्द झालावाड<br>राउप्रावि मोतीलाल नेहरू झालावाड<br>राप्रावि शास्त्री झालावाड<br>राप्रावि सिलाईकेन्द्र झालावाड | राउप्रावि इमामसागर झालावाड<br>राउप्रावि मोतीलाल नेहरू झालावाड         | पर्याप्त नामांकन<br>पर्याप्त नामांकन |

पंचायत समिति का नाम: झालरापाटन

| 1 | 2    | 3    | 4           | 5                                      | 6                     | 7                               |
|---|------|------|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | सरोद | सरोद | रामावि सरोद | राप्रावि सरोद<br>राप्रावि सरोद का खेडा | राप्रावि सरोद का खेडा | दूरी अधिक होने के कारण (2 किमी) |

पंचायत समिति का नाम: सुनेल शहरी क्षेत्र

| क्र. सं. | नगरपालिका | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम  | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण        |
|----------|-----------|--------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|
| 1        | 2         | 3            | 4                     | 5  | 6   | 7                             |
| 1        | पिडावा    | पिडावा       | राउमावि पिडावा        | राउप्रावि कचहरी पिडावा<br>राउप्रावि माता दरवाजा पिडावा<br>राउप्रावि नयापुरा पिडावा<br>राप्रावि वार्ड नं 4 पिडावा<br>राप्रावि आजाद चौक पिडावा | राउप्रावि माता दरवाजा पिडावा  | पर्याप्त नामांकन होने के कारण |

रु/5/1

पंचायत समिति का नाम: सुनेल

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत  | राजस्व ग्राम  | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम  | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण  |
|----------|---------------|---------------|-----------------------|--|---|---|
| 1        | 2             | 3             | 4                     | 5  | 6   | 7   |
| 1        | सुनेल         | सुनेल         | राउमावि सुनेल         | राउप्रावि नवीन बस स्टेण्ड सुनेल<br>राउप्रावि कचहरी सुनेल<br>राउप्रावि राममंदिर सुनेल<br>राप्रावि डा0 भीमराव अम्बेडकर सुनेल | राउप्रावि नवीन बस स्टेण्ड सुनेल<br>राउप्रावि राममंदिर सुनेल           | दूरी अधिक होने के कारण (2.5 किमी)<br>पर्याप्त नामांकन                 |
| 2        | रायपुर        | रायपुर        | राउमावि रायपुर        | राउप्रावि रायपुर<br>राप्रावि नई बस्ती  | राउप्रावि रायपुर  | दूरी अधिक होने के कारण (2.25 किमी)                                    |
| 3        | सालरी         | सालरी         | रामावि सालरी          | राप्रावि सालरी<br>राप्रावि भीलों का मजरा सालरी   | राप्रावि भीलों का मजरा सालरी  | दूरी अधिक व बीच में नाला होने के कारण (1.5 किमी)                      |
| 4        | सिरपोई        | सिरपोई        | राउमावि सिरपोई        | राउप्रावि सिरपोई<br>राप्रावि नई बस्ती सिरपोई   | राप्रावि नई बस्ती सिरपोई  | पर्याप्त नामांकन एवं दूरी अधिक होने के कारण (2 किमी)                  |
| 5        | बोलियाबुजुर्ग | बोलियाबुजुर्ग | रामावि बोलियाबुजुर्ग  | राप्रावि बोलिया बुजुर्ग कोलोनी<br>राप्रावि बोलिया बुजुर्ग  | राप्रावि बोलिया बुजुर्ग कोलोनी  | दूरी अधिक व बीच में नाला होने के कारण (2 किमी)                        |
| 6        | खारपाकला      | खारपाकला      | रामावि खारपाकला       | राप्रावि खारपाकला<br>राप्रावि नई आबादी खारपाकला  | राप्रावि नई आबादी खारपाकला  | जनजाति क्षेत्र का विद्यालय होने एवं दूरी अधिक होने के कारण (1.5 किमी) |

पंचायत समिति का नाम: खानपुर

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम                              | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण             |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| 1        | 2            | 3            | 4                     | 5  | 6   | 7                                  |
| 1        | सारोलाकला    | सारोलाकला    | राउमावि सारोलाकला     | राप्रावि बागरी मोहल्ला<br>राउप्रावि सारोलाकला        | राप्रावि बागरी मोहल्ला सारोलाकला                                      | दूरी अधिक होने के कारण (1.75 किमी) |
| 2        | खानपुर       | खानपुर       | राबाउमावि खानपुर      | राबाउप्रावि खानपुर पश्चिम<br>राबाउप्रावि खानपुर पूरब | राबाउप्रावि खानपुर पूरब   | दूरी अधिक होने के कारण (0)         |

पंचायत समिति का नाम: मनोहरस्थाना

| क्र. सं. | नगरपालिका | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम  | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण   |
|----------|-----------|--------------|-----------------------|--|---|--|
| 1        | 2         | 3            | 4                     | 5  | 6   | 7  |
| 3        | अकलेरा    | अकलेरा       | राउमावि अकलेरा        | राउप्रावि अकलेरा<br>राप्रावि वार्ड नं. 5 अकलेरा<br>राप्रावि वार्ड नं 2 अकलेरा<br>राप्रावि हाट चौक अकलेरा | राउप्रावि अकलेरा<br>राप्रावि वार्ड नं 2 अकलेरा                        | पर्याप्त नामांकन एवं दूरी अधिक होने के कारण (2 किमी)<br>पर्याप्त नामांकन एवं दूरी अधिक होने के कारण (2 किमी) |

क/5/1

पंचायत समिति का नाम: डग

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | राजस्व ग्राम | आदर्श विद्यालय का नाम | समन्वित विद्यालय का नाम              | समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम | पृथक किये जाने का कारण                            |
|----------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1        | 2            | 3            | 4                     | 5                                    | 6   | 7   |
| 4        | गंगधार       | गंगधार       | राउमावि गंगधार        | राउप्रावि आदर्श गंगधार               | राउप्रावि आदर्श गंगधार  | दूरी अधिक एवं बीच में नदी नाले होने से (1.5 किमी) |
|          |              |              |                       | राप्रावि गंगधार का खेडा              | राप्रावि गंगधार का खेडा   | दूरी अधिक होने के कारण (2 किमी)                   |
|          |              |              |                       | राप्रावि नूतन गंगधार                 |   |   |
| 5        | डग           | डग           | राउमावि डग            | राप्रावि न्यू आबादी बागरी मोहल्ला डग | राप्रावि हरिजन मोहल्ला डग   | दूरी अधिक होने के कारण (1.25 किमी)                |
|          |              |              |                       | राप्रावि हरिजन मोहल्ला डग            |   |   |

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

  
(अन्तर सिंह नेहरा) 20/10/11  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्या सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर, .....।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, .....।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय), .....।
21. रक्षित पत्रावली।

  
20/10/11  
संयुक्त शासन सचिव